न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 12/2024 अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

नेमाराम उर्फ नेमीचन्द पुत्र मोतीराम जाति नाई निवासी पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थी

बनाम

1. रामू पुत्र सहीराम पुत्र रामरख जाति जाट निवासी पुरबसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
2. हेतराम पुत्र सहीराम पुत्र रामरख जाति जाट निवासी पुरबसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
3. रामदेव पुत्र देवगिर जाति गुंसाई निवासी पुरबसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
4. ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी पुरबसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
5. हनुमान पुत्र मामराज जाति सुथार निवासी पुरबसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
6. बीरबल पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी पुरबसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
7. मालाराम पुत्र श्री गोपालराम जाति जाट निवासी पुरबसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

–अप्रार्थीगण

उपस्थितः– श्री विनोदकुमार स्वामी वकील–प्रार्थी
श्री सतीश सहू वकील–अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक– 07.1.2025

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.03.2024 को विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जरिये वकील पेश किया गया कि उक्त अनवान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट एवं वादपत्र माननीय न्यायालय में दिनांक 06.03.2018 को प्रार्थी ने पेश किया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.03.2018 को यह आदेश पारित किया गया हैं कि अप्रार्थीगण स्वंय या अपने व्यक्तियों के द्वारा रोही मौजा पुरबसर के खसरा नम्बर 309/3 की 3.7940 हैक्टेयर बारानी भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने तथा उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने एवं उक्त कृषि भूमि पर कब्जा कर मकानों का निर्माण न करें। उक्त प्रार्थना पत्र व दावा में आगामी पेशी 27.03.24 नियत है तथा यथास्थिती आदेश आज भी प्रभावी हैं। प्रार्थी के पिता के देहान्त के बाद उक्त कृषि भूमि प्रार्थी व उसके भाई बहिनों के नाम दर्ज हो चूकी हैं। अप्रार्थीगण को उक्त स्थगन आदेश का ज्ञान होते हुए भी अप्रार्थीगण ने उक्त विवादित कृषि भूमि में प्रार्थी दिनांक 08.08.2024 को कृषि भूमि में गया तो अप्रार्थीगण ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति जाट, रामू पुत्र सहीराम जाति जाट, हेतराम पुत्र सहीराम जाति जाट, रामदेव पुत्र देवगर गुंसाई, हनुमान पुत्र मामराज सुथार, बीरबल पुत्र गोपालराम जाट, मालाराम पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी पूरबसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ, राज. प्रार्थी की कृषि भूमि में घुसे हुए थे अप्रार्थीगण रामु पुत्र सहीराम, हेतराम पुत्र सहीराम, ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम, मालाराम पुत्र गोपालराम ने कृषि भूमि में

Signature Not Verified
Digitally Signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.01.21 18:35:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

अतिचार कर जबरदस्ती मकानों का निर्माण करने लगे व अप्रार्थी रामदेव ने प्रार्थी को अपमानित करने की नियत से प्रार्थी के साथ गाली गलोच की व कृषि भूमि में जबरदस्ती घुसकर बाड़ कर दी व बीरबल व हनुमान ने भी प्रार्थी की कृषि भूमि में जबरदस्ती अतिचार कर बाड़ कर ली व निर्माण करने का प्रयास किया व अभियुक्तगण ने मिलकर प्रार्थी की कृषि भूमि की तारबंदी बाड़ व पत्थर की पटीयों को तोड़ दिया व तार व पटियां अप्रार्थीगण चोरी कर ले गये। जिससे प्रार्थी को करीब 25 हजार रूपये का नुकसान कारित हुआ हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को मना किया तो उन्होने प्रार्थी के साथ गाली गलोच करते हुए जान से मारने की धमकी दी व प्रार्थी के साथ थाप मुक्को से मारपीट करने लगे। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कहा कि उक्त कृषि भूमि पर उपखण्डाधिकारी रावतसर का स्थगन आदेश हैं फिर भी अप्रार्थीगण ने कहा कि हम कोई कोर्ट का आदेश नहीं मानते हम तो आपकी कृषि भूमि पर अतिचार कर निर्माण करेगे व प्रार्थी के साथ धक्का मुक्की की प्रार्थी को सुभाष पुत्र पतराम जाट निवासी शेखचुलिया ने बीच बचाव कर छुड़वाया। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को निर्माण नहीं करने तथा न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं करने बाबत् कहा तो अप्रार्थीगण ने कहा कि हम किसी न्यायालय के आदेश को नहीं मानते हम तो निर्माण करेगे। न्यायालय हमारा क्या बिगाड़ेगा देख लेगें जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 09.03.2024 को पुलिस थाना रावतसर में प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस कारण न्यायालय द्वारा दिये गये यथास्थिती के आदेश की अवहेलना हुई हैं तथा मौका की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। जिसकी मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई हैं। फोटो प्रति मौका रिपोर्ट पटवारी, फोटो प्रति प्रार्थना पत्र पुलिस थाना रावतसर संलग्न हैं। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा स्थगन आदेश होने के पश्चात दौराने दावा प्रार्थी की कृषि भूमि में अतिचार कर निर्माण किया है निर्माण को हटाया जावे व पूर्व की स्थिती बहाल करवाई जावें। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजों की सूची मय दस्तावेज जमाबन्दी पूरबसर बहक नेमाराम वगैरह, फोटोप्रति पटवारी रिपोर्ट, प्रमाणित प्रति फर्द अहकाम प्रार्थना पत्र 212 आरटीए एवं वादपत्र की प्रति पेश की।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तरफ से दिनांक 27.03.2024 को वकील श्री सतीशकुमार सहू उपस्थित आये व जबाब हेतु समय चाहा। अप्रार्थीगण को जबाब हेतु प्रर्याप्त अवसर दिये गये परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा जबाब पेश नहीं करने की सूरत में अप्रार्थीगण का जबाब दिनांक 23.08.2024 को बन्द किया गया। पत्रावली को वास्ते बहस हेतु रखा गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.01.21 18:35:49 IST
Reason: SelfAttested

वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व वकुलाए फरिकैन की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 06.03.2018 को स्थगन आदेश पारित किया गया हैं कि अप्रार्थीगण स्वंय या अपने व्यक्तियों के द्वारा रोही मौजा पुरबसर के खसरा नम्बर 309/3 की 3.7940 हैक्टेयर बारानी भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने तथा उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने एवं उक्त कृषि भूमि पर कब्जा कर मकानों का निर्माण न करें। उक्त आदेश आज भी प्रभावी हैं। अप्रार्थीगण द्वारा स्थगन आदेश होने पर भी पर भी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में निर्माण/अतिक्रमण किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की रोही मौजा पुरबसर के खसरा नम्बर 309/3 की 3.7940 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 16.03.2018 के पश्चात दौराने दावा किये गये अतिक्रमण/निर्माण को हटाया जाने व स्थगन आदेश दिनांक 16.03.2018 से पूर्व की स्थिती बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार को पालना हेतु पत्र जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास आज दिनांक 07.1.2025 को सुनाया गया।

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
राजगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.01.21 18:35:49 IST
Reason: SelfAttested